संख्या-871/22-2-2014-17(153)/2007

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर, 2015

विषयः- सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, उधमसिंह नगर में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी दर्शनवीर पुत्र श्री अजब सिंह, निवासी जनपद गाजियाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15647/पर-2(एम0 05-06-2014) दिनांक-18-06-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दर्शनवीर पुत्र श्री अजब सिंह, निवासी ग्राम-जलालाबाद, थाना-मुराद नगर, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। नाली के विवाद को लेकर बन्दी ने 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर दिनांक 06-07-1989 को सांयकाल 06:00 बजे बन्दूक, रिवाल्वर,कट्टा, रायफल आदि से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-109/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302,307 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 07-06-1995 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 27-01-2014 तक 24 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 40 वर्ष 11 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी द्वारा पुनः भविष्य में अपराध करने की प्रबल संभावना है। बन्दी जेल से रिहा होकर अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुनः अपराध कर सकता है, आादि के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। इसी प्रकार बन्दी के पुनः अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, आदि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद की आख्या के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बन्दी दर्शनवीर पुत्र श्री अजब सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी दर्शनवीर (बन्दी संख्या-16073) पुत्र श्री अजब सिंह, निवासी ग्राम-जलालाबाद, थाना-मुराद नगर, जनपद-गाजियाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-871/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, उधमसिंह नगर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

क1

http://shasanadesh.up.nic.in

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in